निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 95 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी के माह सितंबर 2015 से नवम्बर 2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनोज कुमार नेगी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23-12-2016 से 03-01-2017 तक श्री दिनेश रमोला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार, श्री सुनील दत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री गौरव गुप्ता लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04-09-2015 से 18-09-2015 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह अगस्त 2013 से अगस्त 2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह सितंबर 2015 से नवम्बर 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

क्रियाकलापः-

राज्य योजना, जिला योजना, नाबार्ड, एआईबीपी एवं निक्षेप के अंतर्गत कार्य।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

हल्द्वानी, भीमताल एवं ओखलकांडा विकास खंड के अंतर्गत सिंचाई से संबन्धित कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` *लाख में*

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	--	144.87	508.51	508.51	1965.671	1543.944	--	636.02
2014-15	--	287.71	581.21	558.56	1176.30	1331.24	--	155.42
2015-16	--	97.14	574.30	572.14	3072.05	2422.20	--	749.75
2016-17 (11/2016 तक)	--	60.03	544.56	402.73	1754.69	1356.95	--	599.59

नोटः- वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक बचत धनराशि डीसीएल से संबन्धित है एवं वर्ष 2016-17 मे बचत धनराशि 11/2016 तक स्थापना/गैर स्थापना से संबन्धित है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
----शून्य----					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, नाबार्ड एवं निक्षेप कार्यों के अंतर्गत किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाईं खण्ड, हल्द्वानी के माह 09/2015 से 11/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाईं खण्ड, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। विकास खंड हल्द्वानी मे ग्राम नवाड़खेड़ा बेरीघाट बरसातीपोषक नहर हल्द्वानी खेड़ा मार्ग तथा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम एवं हेलीपैड की गौला नदी से सुरक्षा का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक किए गए व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2016 तथा 09/2015 तक की गई।

5. फार्म 51: माह नवम्बर 2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 549894.50

भाग द्वितीय ` 193187.90

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह अक्तूबर 2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम ` 37276.00

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप ` 13209451.15

(ङ) भण्डार ` 1616970.00

भाग-2 अ

प्रस्तर- 1: शासन को ` 70.76 लाख के राजस्व की क्षति।

उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 19 मई 2016 को निर्गत अधिसूचना के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल मे उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमे से कोई भी मिली जुली अवस्था मे हो की रॉयल्टी की दर ` 194.50 प्रति घनमीटर निर्धारित की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाईं खण्ड, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2016) में पाया गया कि खंड द्वारा जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी मे गोला नदी के बाएँ पार्श्व पर प्रस्तावित स्टेडियम एवं हेलीपैड निकट ग्राम खेड़ा, बेरिघट, बरसाती नहर तथा हल्द्वानी खेड़ा मार्ग की गोला नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना से संबन्धित कार्य के अंतर्गत प्रयुक्त रेत, बजरी एवं मोरम की कुल मात्रा 67712.87 घन मीटर पर ` 90.00 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी की कटौती की गयी थी जबकि अधिसूचना के अनुसार ` 194.50 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार खंड द्वारा रॉयल्टी के रूप मे ` 104.50 प्रति घन मीटर की दर से कम कटौती करने के कारण शासन को ` 70.76 लाख के राजस्व की क्षति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे अवगत कराया गया कि कार्य से संबन्धित अनुबंध जनवरी 2016 मे गठित किया गया था जबकि नयी रायल्टी की दरें बाद मे लागू हुईं।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नहीं था क्योंकि अधिसूचना मे स्पष्ट उल्लेखित था कि बढ़ी हुई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

भाग-2 ब

प्रस्तर:1 विभागीय अदूरदर्शिता के कारण 1172 Hectare कृषि भूमि का असिंचित रहना।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2016) में पाया गया कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल एवं ओखलकांडा मे कुल 69 नहरों मे से 40 नहरों से विगत 4 वर्षों से निम्न विवरणानुसार उनकी सिंचन क्षमता से कम सींच प्राप्त हो रही थी।

(सिंचन क्षमता है0 मे)

क्रम स0	विकास खंड का नाम	नहर का नाम	सिंचन क्षमता	वर्ष 2015-16 मे वास्तविक सींच	प्रतिशत सिंचन क्षमता
1.	भीमताल	रानीबाग	59	34	57.63
2.	भीमताल	मौरा	28	16	57.14
3.	भीमताल	भुजियाघाट	68	45	66.18
4.	भीमताल	सूर्याजाला	56	12	21.43
5.	ओखलकांडा	बेहुखेत	24	07	29.17
6.	ओखलकांडा	गलनी	16	08	50.00
7.	ओखलकांडा	सेलाखेत	22	11	50.00
8.	ओखलकांडा	देवली	56	15	26.79
9.	ओखलकांडा	पुटगाँव	11	10	45.45
10.	ओखलकांडा	रेकुना	34	0	0.00
11.	ओखलकांडा	बलना मटियाल	36	0	0.00
12.	ओखलकांडा	उडियारी टैंक	06	0	0.00
13.	ओखलकांडा	स्यूनी गड़	17	0	0.00
14.	ओखलकांडा	गुरना	22	0	0.00
15.	ओखलकांडा	कैड़ा गाँव	28	06	21.43
16.	ओखलकांडा	पारतोला	146	22	15.07
17.	ओखलकांडा	कुडार	18	04	22.22
18.	ओखलकांडा	रुचूरिगाढ़	34	10	29.41
19.	ओखलकांडा	टकूरा अपर	24	04	16.67
20.	ओखलकांडा	भौनरा	50	0	0.00
21.	ओखलकांडा	डालकन्या अपर	33	1	3.03
22.	ओखलकांडा	चमोली	26	09	34.62
23.	ओखलकांडा	आमजड़ बाई	17	6	35.29
24.	ओखलकांडा	गौरिया रौ	45	12	26.67
25.	ओखलकांडा	कुंडल	34	12	35.29
26.	ओखलकांडा	तुषराढ़	140	35	25.00
27.	ओखलकांडा	टांडा	56	07	12.50
28.	ओखलकांडा	डाल कन्या लोअर	56	15	26.79
29.	ओखलकांडा	थलाडी	33	05	15.15
30.	ओखलकांडा	कचलाकोट	56	16	28.57
31.	ओखलकांडा	भदीया	17	2	11.76

32.	ओखलकांडा	डलौज	30	0	0.00
33.	ओखलकांडा	टीमर	16	4	25.00
34.	ओखलकांडा	झड़गाँव	34	08	23.53
35.	ओखलकांडा	कुलौरी	22	04	18.18
36.	ओखलकांडा	चेकसेंदुला	25	0	0.00
37.	ओखलकांडा	कुकुना	56	0	0.00
38.	ओखलकांडा	देवफ़टा	33	0	0.00
39.	ओखलकांडा	क्वैदल	12	0	0.00
40.	ओखलकांडा	खुजेटी	16	0	0.00
कुल योग			1512	340	

उपरोक्त के संदर्भ मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि अतिवृष्टि, भूस्खलन, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क कटिंग से ध्वस्त, स्रोत मे पानी की कमी एवं आबादी घनत्व का विस्तार होने के कारण सिंचन क्षमता के सापेक्ष कम सींच प्राप्त हो रही है।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा मे मान्य नहीं था क्योंकि खंड द्वारा ऐसी नहरों (खनस्यू, नाई, जोस्यूड़ा, करायल एवं पडायल नहर) का पुनरोद्धार से संबन्धित कार्य कराया जा रहा था जिनसे उनकी सिंचन क्षमता से अधिक सींच प्राप्त हो रही थी।

अतः विभागीय अदूरदर्शिता के कारण 1172 Hectare कृषि भूमि के असिंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1: ` 2.41 लाख की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप में जमा न किया जाना तथा ` 21.57 लाख की धनराशि का अवरूद्ध रहना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 622 (III) में निहित प्रावधान के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष से अधिक समयावधि की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप के रूप में डाल दी जानी चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाईं खण्ड, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2016) में पाया गया कि निक्षेप पंजिका के भाग-2 में ` 241119.00 की धनराशि विगत 5 से लेकर 10 वर्षों तक ठेकेदारों की जमानत जमा की अदावित धनराशि के रूप मे निक्षेप पंजिका मे अवशेष पड़ी थी, जिसका दावा ठेकेदारों द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (दिसम्बर 2016) तक नहीं किया गया था। वित्तीय हस्त पुस्तिका में निहित प्रावधान के अनुसार उक्त धनराशि व्यपगत निक्षेप के रूप में डाली जानी चाहिए थी।

इसके अतिरिक्त भाग-3 में निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि की अवशेष धनराशि ` 21.57 लाख विगत से लेकर 23 वर्षों तक अवरुद्ध पड़ी थी। जिसे खंड द्वारा संबन्धित विभागों को वापिस नहीं किया गया था।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया कि भाग-2 मे ठेकेदारों द्वारा जमानत जमा की मांग न किए जाने के कारण असमायोजित पड़ी थी तथा भाग-3 से संबन्धित धनराशि संबन्धित विभागों द्वारा अवशेष धनराशि की मांग न किए जाने के कारण असमायोजित है।

खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा वित्तीय नियमानुसार ` 2.41 लाख की अदावित धनराशि व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते में जमा नहीं कराई गई था तथा भाग-3 से संबन्धित अवशेष धनराशि संबन्धित विभागों को वापिस कर दी जानी चाहिए थी ताकि धनराशि का अन्य कार्यों पर उपयोग हो सकता।

अतः ` 2.41 लाख की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप में जमा न किए जाने तथा ` 21.57 लाख की धनराशि के अवरूद्ध रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्म्र संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	भाग-2 अ	भाग-2 ब	स्टेन
1.	प्रथम लेखापरीक्षा			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उच्चाधिकारियों की संस्तुति के अभाव मे अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग रानीखेत, अल्मोड़ा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री डी एस नरियाल	अधिशासी अभियंता	23/12/11to 3/09/2012
(ii)	श्री ओम प्रकाश	अधिशासी अभियंता	3/9/12 to11/12/12
(iii)	रणजीत सिंह	अधिशासी अभियंता	11/12/12 to25/2/14
(iv)	एल डी मथेला	अधिशासी अभियंता	25/2/14 to25/5/16
(v)	बी आर टमटा	अधिशासी अभियंता	25/5/16 to present

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

   (i) श्री आर. एस. मीना
   (ii) बी. पी. सिंह
   (iii) रत्नेश कुमार
   (iv) डी. पी. सिंह

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग रानीखेत, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून- 248006 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2